संख्या : R-20 XVII-1/2008-49(स.क.)/2002

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 18 सितम्बर 2008.

विषय :अनुसूचित जाति/जनजाति स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून के पत्रांक–444, दिनांक 08 अगस्त 2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–151/स.क./2002–49(स.क.)/2002, दिनांक 25 फरवरी 2002 एवं शासनादेश संख्या–105/स.क./2004–49(स.क.)/2002, दिनांक 15 जनवरी 2004 द्वारा क्रमशः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान की सीमा में वृद्धि की गई तथा तब से वर्तमान तक उक्त शासनादेशों के प्राविधान यथावत् लागू हैं।

तत्क्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत दिए जाने वाला अनुदान Back-ended रूप में दिए जाने की सहमति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना का संचालन उपरोक्त अंकित शासनादेशों में विहित प्रावधानों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

1460
20.9.08

21/9/08